प्रति,

माननीय ________________________________

____

विषय:- खुले में शौच क्रिया को प्रतिबंधित किए जाने में जैन साधुओं के लिए आंशिक छूट प्रदान किए जाने विषयक |

दैनिक समाचार पत्र ‘आचरण’ (ग्वालियर), ‘पत्रिका’ (सागर) - मध्यप्रदेश; ‘राजस्थान पत्रिका’ (कोटा), ‘प्रातःकाल’ (उदयपुर) - राजस्थान; ‘नवोदय टाइम्स’, ‘नईदुनिया’, ‘जग मार्ग’, ‘पंजाब केसरी’ तथा ‘न्यूज़ ट्रैक लाइव’, ‘क्राइम 7’ - दिल्ली प्रभृति देश के अनेक समाचार पत्रों में तथा ब्लॉग आदि में भी प्रमुखता से दिनांक 27 मार्च 2016 को **“खुले में शौच या गंदगी पर 5 हजार तक जुर्माना”** इस शीर्षक वाला एक समाचार प्रकाशित/प्रसारित हुआ है | इस समाचार के अनुसार **केंद्र सरकार** के द्वारा **‘स्वच्छ भारत अभियान’** को व्यापक रूप से अमल में लाने के लिए **राजस्थान सरकार** के स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर के 12 पृष्ठीय नोटिफिकेशन नं. एफ. 55 ( ) सीई/डीएलबी/15/6625, दिनांक - 11/03/2015 की इस अधिसूचना का सन्दर्भ दिया गया है, जिसमें खुले में शौच, पेशाब या कचरा फेंकने पर 200 रुपए से लेकर 5000 रुपए तक अर्थदण्ड वसूल किये जाने का निर्देश दिया गया है |

प्रवीण प्रकाश (आईएएस)-संयुक्त सचिव एवं मिशन निदेशक (एसबीएम), केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय - भारत सरकार नई दिल्ली (140-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली-110 011, फोन-011–23062309, फैक्स-011 – 23062477, मो.- 90131-33636, ई-मेल- praveen.prakash71@nic.in, praveenprakashud@gmail.com) के द्वारा सभी राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को डी.ओ.नं. - एमडी-एसबीएम/एए/22/2016, दिनांक-17 मार्च, 2016 को प्रेषित किया गया है | इस निर्देश में 30 अप्रैल, 2016 से प्रत्येक शहर में कम से कम एक वार्ड में तथा 30 सितम्बर, 2018 तक सभी शहरों के सभी वार्ड्स में दोषियों पर अर्थदण्ड लगाने को कहा गया है | इसी के साथ मंत्रालय ने पर्याप्त संख्या में सार्वजनिक शौचालय और कचरा एकत्रित करने की सुविधाएँ सुनिश्चित करने के लिए एक सख्त समय सीमा भी निर्धारित की है | जानकारी के अनुसार ‘स्वच्छ भारत अभियान’ को शहरी इलाकों में मनचाहा प्रभाव न मिलने के बाद यह सख्ती बरती जा रही है |

‘स्वच्छ भारत अभियान’ योजना को क्रियान्वित करने हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के द्वारा भी समय-समय पर समुचित प्रयास किये/कराये जा रहे हैं | शासन का यह प्रयास निःसंदेह स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण करने के उद्देश्य से प्रशंसनीय है | इसके अन्तर्गत ‘खुले में शौच करने रूप क्रिया’ को रोके जाने हेतु प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं | नगरीय निकाय एवं ग्रामों में भी खुले में शौच क्रिया को प्रतिबंधित किये जाने हेतु कहीं-कहीं अर्थदण्ड लगाया जा रहा है तो कहीं पर निगरानी समितियाँ, कार्यकर्ताओं के द्वारा रोक-टोक आदि भी की जाती है |

भारतवर्ष में अनेक संस्कृति, रीति-रिवाज, प्रथाएँ अपने धार्मिक ग्रंथों में वर्णित संहिताओं के आधार से पुष्पित, पल्लवित एवं विकसित होती आ रही हैं | इनमें श्रमण-परम्परा के अन्तर्गत **‘जैन धर्म’** भी अनादिकाल से अपने धार्मिक विश्वासों के आधार से अहिंसा प्रधान जीवनशैली का आचरण करते हुए भारतीय संस्कृति के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान देता आ रहा है |

‘जैन धर्म’ के आचार प्रधान ग्रंथों में विहित निर्देशों के अनुरूप जैन श्रमण परम्परा के साधक रूप गच्छाधिपति, आचार्य, उपाध्याय, पन्यास, प्रवर्तक, गणि, मुनिराज, आर्यिका, महासती, साध्वी, ऐलक, क्षुल्लक, क्षुल्लिका, व्रती श्रावक, श्राविकाएँ, मुमुक्षु, समणी, ब्रह्मचारी एवं ब्रह्मचारिणियाँ आदि अहिंसा व्रत के परिपालन हेतु खुले स्थान में सदा ही शौच क्रिया का परिपालन करते हैं |

लगभग दो हजार वर्ष प्राचीन प्राकृत भाषा में लिखित ग्रन्थ **‘मूलाचार’** के **‘मूलगुण-अधिकार’** तथा **‘पंचाचार-अधिकार’** में भी **श्री कुन्दकुन्दाचार्य/वट्टकेराचार्य** जी एवं इस ग्रन्थ के संस्कृत टीकाकार **आचार्य वसुनन्दी सिद्धान्तचक्रवर्ती जी** ने भी अपनी **‘आचारवृत्ति’** टीका में जैन श्रमण आदि के लिए **खुले स्थान पर शौच क्रिया करने के लिए** निर्देशित किया है | यथा-

(1) पंचमसमितिस्वरूपनिरूपणायाह —

एगंते अच्चित्ते दूरे गूढे विसालमविरोहे |
उच्चारादिच्चाओ पदिठावणिया हवे समिदी || 15 || [मूलगुणाधिकार]

एगंते- एकान्ते विजने यत्रासंयतजनप्रचारो नास्ति | **अच्चित्ते-** हरितकायत्रसकायादिविविक्ते | **दग्धे-** दग्धसमे स्थण्डिले | **दूरे-** ग्रामादिकाद्विप्रकृष्टे प्रदेशे | **गूढे-** संवृते जनानामचक्षुर्विषये | **विसालं-** विशाले विस्तीर्णे विलादिविरहिते| **अविरोहे-** अविरोधे यत्र लोकापवादो नास्ति | **उच्चारादि-** उच्चारो मलं आदिर्यस्य स उच्चारादिस्तस्य उच्चारादेः मूत्रपुरीषादेः | **चाओ-** त्यागः | **पदिठावणिया-** प्रतिष्ठापनिका | **हवे-** भवेत् | **समिदी-** समितिः | एकान्ताचित्तदूरगूढविशालाविरोधेषु प्रदेशेषु यत्नेन कायमलादेर्यस्त्यागः सा उच्चारप्रस्रवणप्रतिष्ठापनिका समितिर्भवतीत्यर्थः |

हिंदी अर्थ- अब पाँचवीं समिति का स्वरूप निरूपित करते हैं

गाथार्थ- एकान्त, जीव-जन्तु रहित, दूर स्थित, मर्यादित, विस्तीर्ण और विरोध रहित स्थान में मल-मूत्रादि का त्याग करना प्रतिष्ठापना समिति है || 15 ||

आचारवृत्ति- जहाँ पर असंयतजनों का गमन-आगमन नहीं है ऐसे विजन स्थान को एकान्त कहते हैं | हरितकाय और त्रसकाय आदि से रहित जले हुए अथवा **जले के समान ऐसे स्थण्डिल- खुले मैदान को अचित्त कहा है |** ग्राम आदि से दूर स्थान को यहाँ दूर शब्द से सूचित किया है | संवृत्त- मर्यादा सहित स्थान अर्थात् जहाँ लोगों की दृष्टि नहीं पड़ सकती ऐसे स्थान को गूढ़ कहते हैं | विस्तीर्ण या विलादि से रहित स्थान विशाल कहा गया है और जहाँ पर लोगों का विरोध नहीं है वह अविरुद्ध स्थान है | ऐसे स्थान में शरीर के मल-मूत्रादि का त्याग करना प्रतिष्ठापना नाम की समिति है | तात्पर्य यह हुआ कि एकान्त, अचित्त, दूर, गूढ़, विशाल और विरोधरहित प्रदेशों में सावधानीपूर्वक जो मल आदि का त्याग करना है वह मल-मूत्र विसर्जन के रूप में प्रतिष्ठापन समिति होती है | [पृष्ठ 20 एवं 21]

(2) उच्चारप्रस्रवणसमितिस्वरूपनिरूपणायाह —

वणदाहकिसिमसिकदे थंडिल्लेणुप्परोधवित्थिण्णे |
अवगदजंतुविवित्ते उच्चारादी विसज्जेज्जो || 321 || [पंचाचार-अधिकार]

वनदाहो दावानलः | कृषिः शीरेणाऽनेकवारभूमेर्विदारणं | मषी- श्मशानांगारानलादिप्रदेशः | कृतशब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यते | वनदाहीकृते, कृषीकृते, मषीकृते, स्थंडिलीकृते, ऊषरीकृते | अनुपरोधे लोकोपरोधवर्जिते | विस्तीर्णे विशाले | अपगता अविद्यमाना जन्तवो द्वीन्द्रियादयो यत्र सोऽपगतजन्तुस्तस्मिन्नपगतजन्तौ | विविक्तेऽशुच्याद्यपस्कररहिते जनरहिते वा उच्चारादीन् विसर्जयेत् परित्यज्येत् | अचित्तभूमिदेश इत्यनेन सह सम्बन्धः कर्तव्य इति || 321 ||

हिन्दी अर्थ- उच्चारप्रस्रवण-प्रतिष्ठापन समिति का स्वरूप कहते हैं-

गाथार्थ- दावानल से, हल से या अग्नि आदि से दग्ध हुए, बंजरस्थान, विरोध-रहित, विस्तीर्ण, जन्तुरहित और निर्जन स्थान में मल-मूत्र आदि का विसर्जन करे || 321 ||

आचारवृत्ति- दावानल को वनदाह कहते हैं | हल से अनेक बार भूमि का विदारण होना कृषि है | श्मशान प्रदेश, अँगारों के प्रदेश और अग्नि आदि से जले प्रदेश को मषि कहते हैं | कृत शब्द का प्रत्येक के साथ सम्बन्ध करना चाहिए | अर्थात् जहाँ दावानल (अग्नि) लग चुकी है ऐसा प्रदेश, जहाँ हल चल चुका है ऐसा प्रदेश, तथा श्मशान भूमि, अँगारों से अग्नि आदि से जला हुआ प्रदेश, स्थण्डिलीकृत- ऊसर प्रदेश, जिसे बंजर भी कहते हैं अर्थात् जहाँ पर घास आदि नहीं उगती है ऐसी कड़ी भूमि का प्रदेश, जहाँ पर लोगों का विरोध नहीं है ऐसा प्रदेश, **विशाल- खुला हुआ बड़ा स्थान**, जहाँ पर दो-इन्द्रिय आदि (चींटी आदि) जन्तु नहीं हैं ऐसा निर्जंतुक स्थान और विविक्त अर्थात् अपवित्र विष्ठा तथा कूड़ा-कचरा आदि रहित स्थान या जनरहित स्थान **इन उपर्युक्त प्रकार के स्थानों में मुनि मल-मूत्रादि का त्याग करे अर्थात् अचित्त भूमि प्रदेश में शौचादि के लिए जावे** ऐसा सम्बन्ध कर लेना चाहिए | [पृष्ठ 269]

इसी प्रकार आचारांग, उत्तराध्ययन, दशवैकालिक तथा अनेक निर्युक्ति ग्रन्थों में भी उल्लेख प्राप्त होते हैं | उपरिलिखित वर्णन से यह सुस्पष्ट हो जाता है कि अहिंसा व्रत के परिपालन हेतु उपर्युक्त भूमि नगर/ग्राम के खुले एवं जीव-जन्तु रहित स्थान पर ही मल-मूत्र आदि का क्षेपण किया जाना संभव है |

भारत सरकार ने **'जैन समुदाय'** को राष्ट्रीय स्तर पर **'अल्पसंख्यक समुदाय'** के रूप में **27 जनवरी, 2014** को **'भारत का राजपत्र'**, **असाधारण [भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड (ii)], सं. 217, अधिसूचना क्र. का. आ. 267 (अ)** में अधिसूचित किया है |

‘भारत के संविधान’ के अन्तर्गत **धारा 25** में **‘अन्तःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है |’** इसी के अन्तर्गत निम्नलिखित उल्लेख है-

“(1) लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अन्तःकरण की स्वतंत्रता का और **धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक होगा |”**

इसके साथ ही धारा 29 में **‘अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु’** निम्नलिखित प्रावधान है-

“(1) भारत के राज्यक्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को, जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या **संस्कृति** है, उसे बनाए रखने का अधिकार होगा |”

संविधान की उपरिलिखित धारा 25 एवं 29 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में परिगणित जैन समुदाय के सांस्कृतिक आधार को अपने धार्मिक ग्रंथों में वर्णित विधियों, रीतियों, प्रथाओं के अनुरूप ही पालन करना सुनिश्चित किया जाना केंद्र सरकार, राज्य सरकार, महानगरपालिका, स्थानीय नगरीय निकाय रूप नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद् एवं ग्राम पंचायतों का भी नैतिक दायित्व है |

जैन श्रमण परम्परा के उपर्युक्त समस्त साधक जैनागम में वर्णित अहिंसा प्रधान आचरण विधि का निर्बाध रूप में पालन करने हेतु महानगर, नगर, शहर, कस्बा एवं ग्रामों में भी पदविहार करते हुए आवागमन करते हैं | इन स्थानों में जैन श्रमण परम्परा के साधु, श्रावक-श्राविका आदि भी शौच क्रिया हेतु खुले स्थान का जैनागम के उल्लेखानुसार उपयोग करते हैं |

दैनिक समाचार पत्रों आदि में प्रकाशित-प्रचारित उपर्युक्त समाचार एवं केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय के उपरिवर्णित पत्र के अनुसार भी खुले में शौच या गंदगी करने वालों से निकट भविष्य में आर्थिक दण्ड वसूलना प्रारम्भ किए जाने संबंधी देश के समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं | इस कारण जैन श्रमण परम्परा के उपर्युक्त समस्त साधकों को जैनागम ग्रंथों में वर्णित अहिंसा प्रधान आचरण विधि को निर्बाध रूप से पालन करने हेतु महानगरों, नगरों, शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाधा उत्पन्न होने की पूर्णतया सम्भावना रहेगी, क्योंकि जैन श्रमण परम्परा के साधुगण एवं श्रावकगण भी खुले स्थान में शौच क्रिया का ही प्रायः उपयोग किया करते हैं | इस निर्देश के परिपालन किए/कराए जाने पर अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में स्वीकृत जैन समुदाय के साधकों आदि की खुले में शौच जाने की क्रिया पर संकट के बादल मँडराने लगे हैं |

इस संबंध में माननीय महोदय से निवेदन है कि जैन धार्मिक ग्रंथों के निर्देशानुसार अनुपालन करने वालों को इस प्रतिबंध से छूट दिलवाने हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है | इस सम्बन्ध में कुछ जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी संगठनों, राजनैतिक पदाधिकारियों तथा पत्रकारों ने भी अपने स्तर से प्रयास प्रारम्भ करके शासन तक जनभावनाएँ प्रेषित की हैं | अतः इस विषय में आपसे अनुरोध है कि निम्नलिखित भावों को या इन जैसी अन्य उचित शब्दावलियों का प्रयोग करते हुए जैन श्रमण परम्परागत साधुओं एवं श्रावकों आदि को भी उक्त प्रावधान में छूट दिए जाने हेतु उचित संशोधन संशोधित, निर्धारित, निर्देशित एवं प्रचारित किए/कराए जाएँ-

“धार्मिक ग्रन्थों के निर्देशों/आचरणमूलक क्रियाविधियों के अनुपालन करने हेतु जैन श्रमण परम्परा के समस्त साधकों के द्वारा खुले स्थान में की गई शौच की क्रिया इस ‘स्वच्छ भारत अभियान’ के अन्तर्गत प्रतिबंधित नहीं होगी | अतः वह क्रिया आर्थिक दण्ड योग्य भी नहीं मानी जाएगी |”

इस विषय में यह भी निवेदन है कि उपर्युक्त साधक जब महानगर, नगर, शहर, कस्बा या ग्राम आदि में अपने प्रवास के दौरान खुले स्थान पर शौच क्रिया करें, तब उनके साथ किसी भी प्रकार से रोक-टोक नहीं की जाए, उन पर किसी भी प्रकार का अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जाए और उनसे किसी भी प्रकार से अभद्र व्यवहार भी नहीं किया जाए |

इसके अतिरिक्त जैन साधुजनों आदि के द्वारा महानगरों, नगरों, शहरों, कस्बों या ग्रामों आदि के खुले स्थान पर शौच क्रिया को निर्बाध रूप से किये जाने हेतु जैन समुदाय के लिए उपयुक्त स्थान चिन्हित, सुरक्षित, संरक्षित या आवंटित भी किया जाए |

आपसे अल्पसंख्यक जैन समुदाय की ओर से हम अनुरोध करते हैं कि इस विषय में आप जैन श्रमण परम्परा के उपर्युक्त समस्त साधकों को निराबाध रूप में अपनी दिनचर्या पालन करने में संभावित संकट से निजात दिलाने तत्पर हों | इस विषय में आपके द्वारा किए/कराए गए समीचीन प्रयास/कदम की जानकारी हमें भी प्राप्त हो, ऐसा आपसे सविनय निवेदन है | सादर |

संलग्न :- उपरिलिखित संदर्भित विवरण | **भवदीय**

दिनांक :- ....

प्रतिलिपि :-

1. भारत सरकार

1. **माननीय श्री प्रणब मुखर्जी जी, राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली - 110 004, फोन - 011 – 23015321, फैक्स - 011 – 23017290, 23017824, ई-मेल -** usgrievance@rb.nic.in
2. **माननीय श्री नरेन्द्र मोदी जी, प्रधान मंत्री - भारत सरकार, साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नई दिल्ली - 110 011, फोन - 011 – 23012312, 23013149, 23019545, फैक्स - 23016857, 23019545, ई-मेल -** narendramodi1234@gmail.com
3. **माननीय श्री वेंकैया नायडू, मंत्री - शहरी विकास मंत्रालय, 30 - औरंगजेब रोड, नई दिल्ली - 110 011, फोन - 011 – 23019387, 23019388, मो. 98681-81988, ई-मेल -** mvnaidu@sansad.nic.in
4. **माननीय श्री चौधरी बीरेन्द्र सिंह जी, मंत्री - ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय, कृषि भवन, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद रोड, नई दिल्ली - 110 001, फोन - 011 – 23782373, 23782327, मो. 90131-81818, 90131-81919, 96500-12222, ई-मेल -** choudharybirendersingh@gmail.com
5. **माननीया डॉ. नजमा ए. हेपतुल्ला, मंत्री - अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, रूम नं. 1109, 11वीं मंजिल, बी-1, मिनिस्टर विंग, पर्यावरण भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोदी रोड, नई दिल्ली - 110 003, फोन - 011 – 24364273, 24364274, ई-मेल -** ministerminority@gov.in

2. राज्य सरकार

1. **माननीय श्री ______________________________ , राज्यपाल - ______________________ प्रदेश**
2. **माननीय श्री ______________________________ , मुख्यमंत्री - ______________________ प्रदेश**
3. **माननीय श्री ____________________, मंत्री - पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय, __________ प्रदेश**
4. **माननीय श्री ____________________, मंत्री - नगरीय प्रशासन एवं आवास मंत्रालय, __________ प्रदेश**
5. **माननीय श्री ____________________, मंत्री - अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय, _______________ प्रदेश**